

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनुसचिव,
उत्तर-प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ०प्र०, लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 18 दिसम्बर, 2007

विषय:- विभागीय जलाशयों के मत्स्याखेट ठेके के सम्बन्ध में स्टाम्प शुल्क देयता के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 245/सा०शा०/स्टाम्प/दिनांक 07.11.2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के कर एवं निबंधन विभाग द्वारा परामर्श किया गया है कि मत्स्य विभाग के जलाशयों के ठेका विलेख भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा-1(16) में वर्णित पट्टा विलेख की परिभाषा से आच्छादित है, जिन पर अधिनियम की अनुसूची-1 बी क अनुच्छेद-35 के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है। कृपया आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनुसचिव